प्यारेलाल बनाम सरकार वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

प्रार्थना पत्र 251A   केस नं. 7/2020

28-2-22

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान
उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी
दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/प्रशिक्षण में
है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक 3-3-22 को पेश हो।

03.03.2022 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति पेश करने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट पुनः चाही गई थी। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 257/राजस्व/2022 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील अप्रार्थीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त मौका जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलवाये जाने का निवेदन किया। जिस पर दौराने बहस ही वकील अप्रार्थीगण को मौका जॉच रिपोर्ट की फोटो प्रति उपलब्ध कराई गई। दौराने बहस ही वकील अप्रार्थीगण ने फर्द दस्तावेजात् के संलग्न दस्तावेजात मय फोटोग्राफ्स के पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

03/03/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	:–	07 / 2020
जीएसडब्ल्यूएस नम्बर	:–	2020 / 68
दायर दिनांक	:–	15.06.2020
निर्णय दिनांक	:–	03.03.2022

उनवान प्रकरण

ग्यारसीलाल पुत्र श्री गीगाराम आयु 60 वर्ष जाति गूर्जर निवासी ग्राम ढाणी गावड़ी की तन् ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

–प्रार्थी

बनाम्

1. रामसहाय पुत्र स्व0 बालू उम्र 60 साल
2. मालीराम पुत्र स्व0 बालू उम्र 45 साल
3. मूली देवी पुत्री स्व0 बालू उम्र 52 साल
4. मुन्नी देवी पुत्री स्व0 बालू उम्र 42 साल
5. तीजा देवी पत्नि स्व0 बालू

समस्त जाति गूर्जर निवासीगण ग्राम ढाणी बावड़ी की तन् ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

6. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
7. मैनेजर, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजमेरी

–अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::–

उपस्थितिः–

1. श्री रक्षपाल स्वामी, अभिभाषक– प्रार्थी
2. श्री बाबूलाल चौधरी, अभिभाषक– अप्रार्थी संख्या 5
3. पैरोकार सरकार– नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर, अप्रार्थी संख्या 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:25:52 IST
Reason: Attested

03/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 497, 512, 679, 680, 681, 682, 683 कुल किता 7 कुल रकबा 2.31 हैक्टर तन् ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में स्थित हैं। जिसकी खातेदारी प्रार्थी व उसके परिजनों भाईयों एंव बहिनों के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त भूमियों में से भूमि खसरा नम्बर 682, 683 में प्रार्थी व उसके परिजनों ने पुक्ता रिहायशी मकानात बना रखे है एंव काबिज काश्त होकर मय परिवार रिहायश करते आ रहे है। प्रार्थी व उसके परिजनों की उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि व उसमें स्थित मकानात में आवागमन का एक मात्र रास्ता 4 मीटर चौड़ा एंव 15 मीटर लम्बाई का शाहपुरा–नीमकाथाना सड़क से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के पिता/पति स्व0 बालू उर्फ माधो उर्फ माधोदास के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 688 रकबा 0.7600 हैक्टर तन् ग्राम रायपुर जागीर पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से होकर नजरी नक्शा में दर्शितानुसार कदीम से प्रचलीत रास्ता चला आ रहा है जिसमें मोरम–मलबा आदि डाला हुआ था जिससे होकर प्रार्थी व उसके परिजन अपनी खातेदारी भूमि व उसके बने मकानात में आवागमन करते आ रहे है तथा अपने साधन वाहन ट्रक, ट्रेक्टर ट्रोली व जीप, उंट लढ़ढा आदि लाते ले जाते आ रहे है तथा उक्त रास्ता कदीम से चला आ रहा है। प्रार्थी एंव उसके परिजनों की कृषि भूमि में बुआई जुताई करने हेतु साधन आने जाने का रास्ता भी यही होने तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण के मन में बदनियति आ गई तथा अप्रार्थीगण व उनके समर्थक भू माफिया किस्म के लोग प्रार्थी व उसके परिजनों के आवागमन के उक्त एक मात्र रास्ता को बंद करने तथा रास्ता में अतिक्रमण कर रास्ता को अवरूद्ध करना चाहते है तथा अप्रार्थीगण एंव उसके समर्थकों द्वारा दिनांक 10.06.2020 को जे.सी.बी. मशीन लाकर उक्त रास्ता को खुर्द–बुर्द कर दिया एंव रास्ता में जो मोरम डाली हुई थी उसको वहां से उठाकर दुसरी साईड में डाल दी एंव रास्ता में ट्रेक्टर से हल चलाकर रास्ता को अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थी व उसके परिजन अपने मकानों व भूमि में आवागमन नहीं कर पा रहे है एंव अपनी भूमि में साधन ट्रेक्टर ले जाकर फसल भी काश्त नहीं कर पा रहे है। प्रार्थी व उसके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी व उसके परिजनों का आवागमन का उक्त प्रचलित रास्ता ही एक मात्र रास्ता लघुत्तम एंव सरलतम रास्ता है। इसलिए उक्त रास्ता को

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

03/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज करवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थी व उसके परिजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की शर्तो व नियमों की पालना करने को तैयार है एवं डी0एल0सी0 रेट की दुगनी राशि जमा करवाने या भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है। इस कारण रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में अति आवश्यक होने से न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 497, 512, 679, 680, 681, 682, 683 कुल किता 7 कुल रकबा 2.31 हैक्टर तन् ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में से भूमि खसरा नम्बर 682, 683 में प्रार्थी व उसके परिजनों के पुक्ता रिहायशी मकानात व उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में आवागमन का एक मात्र रास्ता 4 मीटर चौड़ा एंव 15 मीटर लम्बाई का शाहपुरा–नीमकाथाना सड़क से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के पिता/पति स्व0 बालू उर्फ माधो उर्फ माधोदास के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 688 रकबा 0.7600 हैक्टर तन् ग्राम रायपुर जागीर पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से होकर नजरी नक्शा में दर्शितानुसार को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में अमल दरामद करवाये जाने का निवेदन किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से श्री बाबूलाल चौधरी एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एंव जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अवसर चाहे गये। वकील अप्रार्थीगण ने 14 अवसरों के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया गया। जिस पर वकील अप्रार्थीगण ने दिनांक 10.02.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 7 की नोटिस तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 197/एलआर/कैम्प–हरदास का बास दिनांक 15.11.2021 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जॉच रिपोर्ट पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने रिपोर्ट पटवारी हल्का रायपुर जागीर से जॉच करवाई जाने का अंकन किया गया था। वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.02.2022 को

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

03/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि अप्रार्थीगण रामसहाय वगै0 ने रास्ता में रूकावट डालने की गर्ज से आज विगत रात्रि को ट्रैक्टर ट्रोलियों में बजरी सीमेन्ट व सीमेन्ट की बड़ी–बड़ी ईंट लाकर डालका निर्माण कार्य शुरू कर करीब 100 फुट में दिवार निर्माण शुरू कर दिये जाने तथा मौका सुरत को लगातार बदलने तथा प्रार्थीगण के चारों तरफ के रास्ते पहले ही बन्द कर दिये जाने बाबत अवगत कराते हुए मौका स्थल के पॉच फोटोग्राफ्स भी पेश किये गये थे। जिससे दौराने वाद प्रस्तावित रास्ते पर रातों रात निर्माण कार्य किया जाना प्रकट होता है। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.02.2022 नियत की गई। वकील अप्रार्थीगण ने उक्त जॉच रिपोर्ट पर आक्षेप लगाते हुए दिनांक 10.02.2022 को एक प्रार्थना पत्र बाबत भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर जागीर से मौके की पुनः वास्तविक रिपोर्ट मॅगवायें जाने का पेश किया। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया एंव आदेशित किया गया कि वाके ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 497, 512, 679 से 683 में आवागमन का एकमात्र रास्ता 5 मीटर चौड़ाई का खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 688 में से आवागमन के लिये रास्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चाहे गये रास्ते हेतु राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम संख्या 68–70 का अनुपालन करते हुए प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए निकटतम एंव लघुत्तम रास्ते के सम्बन्ध में इस न्यायालय के पत्रांक 183/रीडर/2022 दिनांक 10.02.2022 के द्वारा रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 257/राजस्व/2022 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा मौका जॉच रिपोर्ट भिजवाई जाने पर मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। मौका जॉच रिपोर्ट में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम होने तथा इसकी अत्यांतिक आवश्यकता होने तथा यह केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं होने एंव उक्त रास्ते हेतु मौके पर प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण के मध्य सहमति के प्रयास किये जाने तथा खसरा नम्बर 688 के खातेदार सहमत नहीं होने बाबत अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के दिनांक 24.02.2022 को मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु मौके पर जाने पर प्रार्थी ग्यारसीलाल व अप्रार्थीगण रामसहाय व मालीराम के मौके पर उपस्थित होने तथा मौका रिपोर्ट पर उपस्थित अप्रार्थीगण के द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार करने का तथ्य अंकित किया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी मौका रिपोर्ट के पैरा संख्या 2 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

03/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा प्रार्थीगणों द्वारा चाहा गया मार्ग भूमि खसरा नम्बर 688 के उत्तरी पश्चिमी कोने से सबसे निकटतम होने एंव यह रास्ता रायपुर जागीर व शाहपुरा जाने वाली पक्की डामर सड़क से लगता हुआ होने तथा इस रास्ते की उत्तरी सीमा 23 मीटर, दक्षिणी सीमा 21 मीटर एंव 5 मीटर चौड़ाई में प्रस्तावित होकर रास्ते हेतु कुल रकबा 110 वर्गमीटर नजरी नक्शा में प्रस्तावित किया है। जबकि वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए में प्रार्थी द्वारा 4 मीटर चौड़ाई का ही रास्ता चाहा गया है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ते को 5 मीटर के स्थान पर 4 मीटर प्रस्तावित किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने प्रस्तावित रास्ता से किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगणों के मकानातों एंव कृषि जोत के लिए भी उपयुक्त होकर प्रार्थीगण को अत्यांतिक आवश्यक होना तथा इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होने तथा उक्त रास्ता लघुत्तम होने बाबत अवगत कराया है। प्रस्तावित रास्ते की जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस संलग्न किया है।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एंव उसकी डी0एल0सी0 दर सिंचित भूमि 1039797/– रूपये प्रति हैक्टर की दर से गणना की जाकर भूमि खसरा नम्बर 688 में से उत्तरी सीमा 23 मीटर व दक्षिणी सीमा 21 मीटर औसतन लम्बाई 22 X 4 = 88 वर्गमीटर, डी0एल0सी0 दर से राशि 9150/– रूपए की दुगुनी राशि = 18300/- रूपयें अर्थात कुल राशि 18300/– रूपये (अठारह हजार तीन सौ रूपये मात्र) बनती है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थी के आवागमन हेतु कोई रास्ता मौजूद नहीं होने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता जो लाल स्याही से दर्शित है से सहमति व्यक्त करते हुए वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी राशि पर रास्ता उपलब्ध कराने में कोई एतराज नहीं होने बाबत अवगत कराया गया।

वकील प्रार्थी ने प्रकरण में पुनः तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण सुनी गई और बहस ही वकील अप्रार्थीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त मौका जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलवाये जाने का निवेदन कर प्रकरण को अनावश्यक रूप से देरीना किये जाने की मंशा प्रकट होने पर दौराने बहस ही वकील अप्रार्थीगण को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त मौका जॉच रिपोर्ट की फोटो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

07/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रति उपलब्ध कराई जाकर अवलोकन करने हेतु समय दिया गया। जिस पर वकील अप्रार्थीगण ने मौका जॉच रिपोर्ट का अवलोकन कर मौका जॉच रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर होने से इन्कार किया एंव खसरा नम्बर 688 की पश्चिमी तरफ की दीवार व 694 व उसके आगे करीब 5 फुट उॅचाई की सुरक्षा दीवार एन.एच.ए.आई. द्वारा बनाई जाना, जो करीब 35 वर्ष पुरानी होने बाबत कथन किया। जिसके सम्बन्ध में वकील प्रार्थी ने बताया कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौका जॉच रिपोर्ट में वर्तमान में दिनांक 11.11.2021 की मौका जॉच भू.अ. निरीक्षक एंव पटवारी हल्का के पश्चात् मौके पर भूमि खसरा नम्बर 688 के प्रस्तावित रास्ते पर अप्रार्थीगणों के द्वारा पक्की सीमेंट की ईंटों द्वारा टिनशेड लगा लिया जाना स्पष्टतः अंकित किया है। जो वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.02.2022 को पेश किये गये मौका स्थल के पॉच फोटोग्राफ्स से भी दौराने वाद प्रस्तावित रास्ते पर रातों रात निर्माण कार्य किया जाना प्रकट होता है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत फर्द दस्तावेजात् के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात व फोटोग्राफ्स से भी उक्त नवीन दीवार बनाई जाना तथा उस पर टिनशेड लगाया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है।

प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा भी दौराने प्रकरण की सुनवाई बकुलाय उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में पक्षकारान् प्रार्थी व अप्रार्थीगण से कई बार सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में आपसी समझाईस भी की गई है लेकिन अप्रार्थीगण ने किसी भी सूरत में प्रार्थी को रास्ता दिये जाने बाबत अपनी सहमती नहीं दी है तथा ना ही प्रार्थी के लिए वैकल्पिक या लघुत्तम रास्ता होने बाबत ही अवगत कराया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगणों के मकानातों एंव कृषि जोत के लिए भी उपयुक्त होने से तथा प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी राशि पर रास्ता उपलब्ध कराने में कोई एतराज नहीं होने बाबत अवगत कराने पर वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार कुल [illegible] भूमि हेतु प्रतिकर राशि 18300/- रूपये (अक्षरे अठारह हजार तीन सौ रूपये मात्र) नियमानुसार देय बनते है।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है एंव आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 497, 512, 679, 680, 681, 682, 683 कुल किता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

Rathore
03/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

7 कुल रकबा 2.31 हैक्टर तन् ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में से भूमि खसरा नम्बर 682, 683 में प्रार्थी व उसके परिजनों के पुक्ता रिहायशी मकानात व उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में आवागमन का एक मात्र रास्ता शाहपुरा–नीमकाथाना सड़क से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के पिता/पति स्व0 बालू उर्फ माधो उर्फ माधोदास के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 688 में से उत्तरी सीमा 23 मीटर व दक्षिणी सीमा 21 मीटर औसतन लम्बाई 22 X 4 = 88 वर्गमीटर तन् ग्राम रायपुर जागीर पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से होकर नजरी नक्शा में दर्शितानुसार को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौका रिपोर्ट में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग मानते हुए रास्ता नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार कुल 88 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें जिसमें रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर से अधिक न हो एंव इस हेतु प्रार्थीगण से प्रतिकर कुल राशि 18300/– रूपये (अक्षरे अठारह हजार तीन सौ रूपये मात्र) वसूल की जाकर नियमानुसार राज्यकोष में जमा किये जावें एंव तत्पश्चात् राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम करवाई जावे। उक्त प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावें।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ता तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम होना तथा इसकी अत्यांतिक आवश्यकता होना एंव यह रास्ता केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं होना प्रमाणित होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से रास्ते हेतु प्रतिकर कुल राशि 18300/– रूपये (अक्षरे अठारह हजार तीन सौ रूपये मात्र) वसूल की जाकर नियमानुसार राज्यकोष में जमा किये जाकर अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्से अनुसार भुगतान करते हुए उनके ग्राम रायपुर जागीर पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 497, 512, 679, 680, 681, 682, 683 कुल किता 7 कुल रकबा 2.31 हैक्टर तन् ग्राम रायपुर जागीर तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

03/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में से भूमि खसरा नम्बर 682, 683 में प्रार्थी व उसके परिजनों के पुक्ता रिहायशी मकानात व उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में आवागमन का एक मात्र रास्ता शाहपुरा–नीमकाथाना सड़क से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के पिता/पति स्व0 बालू उर्फ माधो उर्फ माधोदास के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 688 में से उत्तरी सीमा 23 मीटर व दक्षिणी सीमा 21 मीटर औसतन लम्बाई 22 X 4 = 88 वर्गमीटर तन् ग्राम रायपुर जागीर पटवार हल्का रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार कुल 88 वर्गमीटर भूमि बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड किया जावे। रास्ते की अधिकतम चौड़ाई 13 फीट से अधिक नहीं हो एंव नक्शे में आवश्यक तरमीम की जावें। प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग मानते हुए रास्ता अंकित नजरी नक्शा प्रमाणित अंकन किया जाकर निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। मत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

03/03/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 03.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/03/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested